



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 343]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 6, 2019/ज्येष्ठ 16, 1941

No. 343]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 6, 2019/JYAISTHA 16, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2019

**सा.का.नि. 410(ब).**—पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का 38) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा 06 जून, 2019 को उस तिथि के रूप में नियत करती है, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 2 के पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 71 को संशोधन करने संबंधी प्रावधान प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 10/44/2012-आईपीआर-III (अंश-I)]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2019

**G.S.R. 410(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the section 1 of the Patents (Amendment) Act, 2002 (38 of 2002), the Central Government hereby appoints the 6<sup>th</sup> June, 2019 as the date on which section 2 of the Patents (Amendment) Act, 2002 (38 of 2002), in so far as it amends section 71 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), shall come into force.

[F. No. 10/44/2012-IPR-III (Part-I)]

RAJIV AGGARWAL, Jt. Secy.